रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052021-227250
CG-DL-E-29052021-227250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 2021/ज्येष्ठ 8, 1943
No. 284] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 2021/JYAISTHA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2021

संख्या 31/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 350(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मिथाइल एसिटोएसिटेट" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 566 (अ), दिनांक 31 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था।

और जहां कि, उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारीअपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 3 मई, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(i) इस प्रतिपाटन शुल्क के लगे रहने के बावजूद कुल आयात, मांग और उत्पादन की तुलना में विषयगत देश से होने वाला आयात बहुत अधिक है और जांच अवधि के दौरान पाटन और क्षत्ति मार्जिन धनात्मक रहा है;

(ii) आयात मूल्य, वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क जोड़े बिना, घरेलू उद्योग के मूल्यों से कम रहा है;

(iii) विषयगत देश की अतिरिक्त क्षमता के बढ़ने की संभावना है और जांच अवधि के दौरान आयातों का अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग के निवल विक्रय मूल्य से कम है;

(iv) यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लागू है, तो विषयगत देश से विषयगत वस्तु की यहां भरमार हो जाने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे इस प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है |

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	उत्पादक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं.लि.	0.277	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90,	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित देश से भिन्न कोई भी देश	0.404	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

	2918 99 90 or 2933 19 99							
3.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	0.404	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/31/2021–टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2021

No. 31/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 350(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/40/2020-DGTR, dated the 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Methyl Acetoacetate' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/2016-Customs (ADD), dated the 31st May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 566(E), dated the 31st May, 2016.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/40/2020-DGTR, dated the 3rd May, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) imports from the subject country in relation to total imports, demand and production continued to be significant despite anti-dumping duty in existence and the dumping and injury margins determined for the period of investigation are positive;

(ii) the imports without adding the existing anti-dumping duty are undercutting the prices of the domestic industry;

(iii) the excess capacity in the subject country is likely to increase and the landed value of imports is below the net selling price of the domestic industry in the period of investigation;

(iv) there is likelihood of dumping of the subject goods from the subject country and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of the current anti-dumping duty that is in force on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country;

and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	Methyl Acetoacetate	China PR	Any country including China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	0.277	Kg	USD
2.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	Methyl Acetoacetate	China PR	Any country including China PR	Any other than at Sl. No. 1.	0.404	Kg	USD
3.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 99, 2918 30 40 2918 30 90, 2918 99 90 or 2933 19 99	Methyl Acetoacetate	Any other than China PR	China PR	Any	0.404	Kg	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/31/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.29 17:54:33 +05'30'